लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र0/शि.क./ए/संवि./17/2009/470 भोपाल, दिनांक 12-8-09

:: **आदेश** ::

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49/2008/20–1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक–8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम–2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम–5 तथा तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री विनोद कुमार मांझी (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.मा.वि. कसेरूआ जिला दतिया	AI7040	23050212103	जनपद पंचायत सेवढ़ा जिला दतिया जा.क्र. 749 दि. 10.07.09	जनपद पंचायत गोहद जिला भिण्ड जा.क्र. 1932 दि. 20.07.09 शा.प्रा.वि. गड़रौली शा.प्रा.वि. खितौली शा.प्रा.वि. छरैटा	23030715901
2	श्रीमती चैताली चक्रवर्ती अध्यापक शा.बा.उ.मा.वि. बघराजी जिला जबलपुर	AB4078	23390877703	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 4717 दि. 17.07.09	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र. 1384 दि. 14.07.09 शा.मा.शा. अहिरगुवां कैम्प	23100306801
3	श्रीमती ज्योति रावत सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. चिटावली जिला भिण्ड	BG3699	23030312301	जनपद पंचायत मेहगांव जिला भिण्ड जा.क्र. 1036 दि. 13.07.09	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1302 दि. 14.07.09 शा.प्रा.क.वि. कुलैथ	23040312110
4	श्रीमती पद्मलता राव सहायक अध्यापक शा.मा.शा. मंजूस कलां जिला रायसेन	AU1040	23340116802	जनपद पंचायत बाडी जिला रायसेन जा.क्र. 12 दि. 01.06.09	जनपद पंचायत होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क्र. 3186 दि. 20.07.09 शा.प्रा.वि. रोहना	23370302101
5	श्रीमती वीणा आर्या अध्यापक शा.मा.शा. पथरगुवां जिला टीकमगढ	BC9728	23080108102	जिला पंचायत टीकमगढ जिला टीकमगढ जा.क्र. 2570 दि. 21.07.09	जिला पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा.क्र. 2766 दि. 10.07.09 शा.मा.वि. ढढेवरा	23090705001
6	श्रीमती नसीम बानो सहायक अध्यापक शा.मा.शा. नवीन शाहपुर बेगमगंज जिला रायसेन	AT5662	23340222901	नगर पालिका बेगमगंज जिला रायसेन जा.क्र. 121 दि. 11.02.09	जनपद पंचायत डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर जा.क्र. 1862 दि. 21.07.09 शा.प्रा.वि. गोपालपुरा	23270602701

7	कु. उषा वधवा सहायक अध्यापक शा.नवीन प्रा.वि. छत्री जिला मंदसौर	AQ6285	231901059 18	नगर पंचायत परिषद भानपुरा जिला मंदसौर जा.क्र. 339 दि. 22.06.09	जनपद पंचायत मनासा जिला नीमच जा.क्र. निरंक दि. 17.07.09 शा.क.प्रा.वि. मनासा	23180514 901
8	श्रीमती निशा शर्मा, सहायक अध्यापक शास.प्रा.शाला श्रीपुरा जिला श्योपुर	BA7580	230110107 05	जनपद पंचायत कराहल जिला श्योपुर जा.क्र. 916 दिं. 23.5.09	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. 1576 दिं. 5.6.09 शा.प्रा.वि.बा.टिहोली मुरार	23040404 201

संविलियन की शर्ते –

1. यह अनुमति तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेगें ।
4. तालिका के कालम–6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम–5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम–5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

12/8/09

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ./क्र0/शि.क./ए/संवि./17/2009/471 भोपाल, दिनांक 12.8.09

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारो मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

12/8/09

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

22/8/09

SK